e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:– 01 / भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)–19 / 2021–Part-II....14091

प्रेषक,

जे0 प्रियदर्शिनी, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
रोहतास / बक्सर / भोजपुर / कैमूर / औरंगाबाद /
नवादा / गया / पटना / वैशाली / मुजफ्फरपुर / पूर्वी चम्पारण /
सिवान / गोपालगंज / दरभंगा / समस्तीपुर / मधुबनी / भागलपुर / सारण।

पटना, दिनांक :–18/10/2024

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्रारंभ किए गए कार्यों के आवश्यक प्रपत्रों की छपाई के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक–11709 दिनांक–23.12.2020 एवं पत्रांक–13181 दिनांक–07.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत निदेशालय आदेश ज्ञापांक–177 दिनांक–11.01.2024 के आलोक में राज्य के सभी जिलों के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ है। इस कार्य अंतर्गत वर्त्तमान में सर्वेक्षण पूर्व किये जाने वाले कार्य यथा–जिला स्तर पर ग्रामवार उद्घोषणा, रैयतों से प्रपत्र–2 में स्वघोषणा एवं प्रपत्र–3 (1) में वंशावली का समर्पण, प्रपत्र–5 में खतियानी विवरणी का संधारण इत्यादि किये जा रहे है। इन कार्यों के संबंध में पूर्व में दिये गये निदेश के अनुरूप आपके स्तर से सर्वेक्षण किये जाने वाले ग्रामों की उद्घोषणा को ऑनलाईन संधारित कर दिया गया है एवं रैयतों से स्वघोषणा एवं वंशावली ऑफलाईन एवं ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त करते हुए भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा रहा है। साथ ही प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रपत्र–5 को ऑनलाईन संधारित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट करना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत उपरोक्त कार्यों के पश्चात किये जाने वाले कार्य यथा–किस्तवार, खानापुरी, सुनवाई इत्यादि के लिए आवश्यक प्रपत्रों की छपाई जिला स्तर पर की जाएगी। विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के विभिन्न प्रक्रमों के लिए आवश्यक प्रपत्रों एवं पंजियों का विषयवार एवं आकार का विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि जिला स्तर पर ग्रामों की संख्या एवं ग्रामवार खेसरों की संख्या के आधार पर प्रक्रमवार आवश्यक प्रपत्रों का आकलन करते हुए जिला स्तर पर वित्तीय नियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करते हुए प्रपत्रों का मुद्रण करायी जाय। राशि की अनुपलब्धता पर आवंटन संबंधी पत्रों में मुद्रण कराये जाने वाले प्रपत्रों की स्थिति स्पष्ट करते हुए अधियाचना भेजी जाय।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/10
(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)–19/2021–Part-II 14091 **पटना, दिनांक** 18/10/2024

प्रतिलिपि :बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प0चम्पारण/शिवहर/बांका/शेखपुरा/सहरसा/कटिहार/पूर्णियाँ/मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/अरवल/मधेपुरा/जमुई/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/10

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)–19/2021–Part-II 14091 **पटना, दिनांक** 18/10/2024

प्रतिलिपि: उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि यदि आपके कार्यालय में विशेष सर्वेक्षण से संबंधित पूर्व का मुद्रित प्रपत्र हो तो उन्हें बन्दोबस्त कार्यालय पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

17/10

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)–19/2021–Part-II 14091 **पटना, दिनांक** 18/10/2024

प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

17/10

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)–19/2021–Part-II 14091 **पटना, दिनांक** 18/10/2024

प्रतिलिपि : निदेशालय में पदस्थापित सभी प्रमंडलों के नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/10

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)–19/2021–Part-II 14091 **पटना, दिनांक** 18/10/2024

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17/10

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)–19/2021–Part-II 14091 **पटना, दिनांक** 18/10/2024

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/10

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अंतर्गत प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रपत्रों एवं पंजियों का आकार का आकलन

क्र0 सं0	प्रपत्र संख्या	विषय	प्रपत्र/पंजी का आकार	अभ्युक्ति
1	प्रपत्र–3 (ii)	याद्दाश्त पंजी प्रपत्र–3 (ii) की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	A3 11.7 X 16.5 ईंच	
2	प्रपत्र–6	खेसरा पंजी की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	A3 11.7 X 16.5 ईंच	
3	प्रपत्र–8	प्रपत्र–8 दावा/आक्षेपों का प्रपत्र	A4 8.3 X 11.7 ईंच	
4	प्रपत्र–9	प्रपत्र–9 दावों/आक्षेपों की पावती पंजी (एक पृष्ठ में दो पावती रहेगा) (ग्रामवार) (100 पन्नों की) पावती अलग करने के लिए निर्धारित रेखा को छिद्रयुक्त रखा जाए	A5 5.8 X 8.3 ईंच (एक पृष्ठ में दो पावती का प्रपत्र रहेगा।)	
5	प्रपत्र–10	प्रपत्र–10 दावा/आक्षेप पंजी (100 पन्नों की) (ग्रामवार)	A4 8.3 X 11.7 ईंच (100 पृष्ठ में)	
6	प्रपत्र–11	प्रपत्र–11 सूचना का प्रपत्र	A5 5.8 X 8.3 ईंच	
7	प्रपत्र–14	प्रपत्र–14 दावा/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र	A4 8.3 X 11.7 ईंच	
8	प्रपत्र–15	प्रपत्र–15 अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों/आक्षेपों की पंजी (100 पन्नों की)	A4 8.3 X 11.7 ईंच (200 पृष्ठ में)	
9	प्रपत्र–16	प्रपत्र–16 दावों/आक्षेपों की पावती प्रपत्र (एक पृष्ठ में दो पावती रहेगा (ग्रामवार) (100 पन्नों की) पावती अलग करने के लिए निर्धारित रेखा को छिद्रयुक्त रखा जाए	A5 5.8 X 8.3 ईंच (एक पृष्ठ में दो पावती का प्रपत्र रहेगा)	
10	प्रपत्र–17	प्रपत्र–17 सूचना का प्रपत्र	A5 5.8 X 8.3 ईंच	
11	आदेशफलक	(मुख्य पृष्ठ एवं द्वितीय पृष्ठ)	A4 8.3 X 11.7 ईंच	

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:- 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे-13/2024........1318/

174

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 07/08/2024

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत प्रपत्र-5 में खतियानी विवरणी का संधारण किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक-177 दिनांक-11.01.2024 के आलोक में राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस आलोक में नवनियोजित 9888 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के योगदान का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं अगस्त, 2024 में राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण उपरान्त प्रत्येक अंचल स्तरीय शिविर द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस आलोक में प्रत्येक शिविर द्वारा संधारित किए जाने वाले प्रपत्र-5 खतियानी विवरणी के संधारण के संबंध में निम्नरूपेण कार्रवाई की जाएगी:-

(i) प्रपत्र-5 में खतियानी विवरणी के संधारण हेतु आवश्यक विगत सर्वे के खतियान की प्रति भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वेबसाईट www.bhuabhilekh.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। अतः विगत सर्वे के खतियान की प्रति को अभिलेखागार से प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है।
(ii) भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र-5 के संधारण की प्रक्रिया से सम्बन्धित विडियो भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के Official Youtube Channel dlrs.bihar.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका लिंक https://www.youtube.com/watch?v=lH-Jn76LIEQ है।
(iii) खतियानी विवरणी को संधारित करने के लिए प्रपत्र-5 का मुद्रण कराया जाना आवश्यक नहीं होगा।
(iv) अंचल के जिन ग्रामों का विगत खतियान अनुपलब्ध हो उनकी सूची थाना नं0 के साथ संधारित कर सभी अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी एवं अनुपलब्ध खतियान को प्राप्त करने के लिए जिले के अभिलेखागार अथवा सम्बन्धित ग्राम के रैयत के पास सम्पर्क कर आवश्यक प्रयास किया जाएगा।
(v) प्रपत्र-5 के संधारण हेतु प्रतिदिन कार्य प्रगति की समीक्षा की जाएगी एवं प्रत्येक ग्राम के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में इन्ट्री किए जाने का प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन जिला स्तर पर की जाए।

उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीनों के शिविरवार/ग्रामवार टैगिंग तथा जिलास्तरीय उद्घोषणा के प्रकाशन उपरान्त रैयतों से स्वघोषणा प्राप्ति किए जाने एवं ग्राम सभा के आयोजन के साथ-साथ प्रपत्र-5 के संधारण की कार्रवाई आरंभ की जाए एवं दैनिक प्रगति प्रतिवेदन के आलोक में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठकों में प्रगति से अवगत कराया जाए।

विश्वासभाजन

6/8/24
(जय सिंह)
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024.......13181.......पटना, दिनांक :07/08/2024

प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (भू0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024.......13181.......पटना, दिनांक:07/08/2024

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024.......13181.......पटना, दिनांक:07/08/2024

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024.......13181.......पटना, दिनांक:07/08/2024

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024.......13181.......पटना, दिनांक:07/08/2024

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
6/8/24

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

72

संख्या :– 17–वि0 सर्वे0 शेखपुरा – 244 / 2015..11709

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 23-12-2020

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के लिए आवश्यक प्रपत्रों की छपाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय द्वारा विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक प्रपत्रों की छपाई विभागीय अनुमोदन के आलोक में वित्त विभाग से कराने का निर्णय लिया गया था। वित्त विभाग द्वारा प्रपत्रों की छपाई ससमय आवश्यकतानुसार नहीं कर पाने की स्थिति में वित्त विभाग से जिला स्तर पर प्रपत्रों की छपाई करने के संबंध में सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। वित्त विभाग के पत्रांक 6104 दिनांक 04.12.2020 द्वारा दी गई सहमति के आलोक में प्रपत्रों की छपाई अब जिला स्तर पर किया जाना है।

अतः आवश्यक है कि अपने जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या के आधार पर प्रपत्रों की आवश्यकता का आकलन कर लिया जाए इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रैयतों को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3(1) को संबंधित ग्रामों के कुल जमाबंदी संख्या के 2 प्रतिशत नमूना तौर पर छपाई कराया जाना उचित होगा और नमूने के तौर पर ग्रामों में वितरित किया जाना उचित होगा। रैयतों द्वारा प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3(1) हस्तलिखित में भी स्वीकार किया जा सकता है। अन्य प्रपत्र आवश्यकतानुसार छपाई कराया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक प्रपत्रों की छपाई आवश्यकतानुसार तत्काल प्रारंभ करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए ताकि विशेष सर्वेक्षण का कार्य बाधित न हो। साथ ही आवश्यकतानुसार विधिवत आवंटन की मांग की जाए ताकि ससमय राशि उपलब्ध कराई जा सके।

अनुलग्नकः– प्रपत्रों के आकार संबंधी
हार्ड एवं सॉफ्ट कापी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 23/12/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Drive - D\Year 2020\Birendra Sir\Director\21-12-2020.doc

पटना, दिनांकः— 23-12-2020

ज्ञापांक :— 17—वि0 सर्वे0 शेखपुरा — 244 / 2015...11709...

प्रतिलिपि :— सभी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता—सह—प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त / सभी संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

पटना, दिनांकः—23-12-2020

ज्ञापांक :— 17—वि0 सर्वे0 शेखपुरा — 244 / 2015...11709...

प्रतिलिपि :—सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

पटना, दिनांकः—23-12-2020

ज्ञापांक :— 17—वि0 सर्वे0 शेखपुरा — 244 / 2015...11709...

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप